


फर्द अहकाम

(नियम 20)

अदालत ३५८७०९ अद्वितीयी मुकाम राखेपे
नौनगा बनाम स्टेट ऑफ राज. तहसी
 किस्म मुकदमा 128.111 RTI नं. पा/प्र.पं/२५ सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
१९/६/२५	सरकारने स रिपोर्ट होकर पत्रावली पार्शना पत्र पेश हुआ। प्राची अधिकवता उपस्थित। पार्शना पत्र पर स रिपोर्ट किया जाकर जज नोटिस अप्राची को तबतकर पत्रावली दिनांक २८-०६-२५ को पेश हो।	
२८-०६-२५	पत्रावली पेश हुयी। प्राची अधिकवता उपस्थित सरकार पैंरोकर तहसीदार इन्सग २२५ उपस्थित। अप्राची सरकार पैंरोकर ने पत्राव पत्र प्रस्तुत नहीं कर अनापत्त जाहिर की हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये जाये। प्राची का पार्शना पत्र न्यायापत्त में स्वीकार किया जाता है। विषय पृथक् स लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली केसल शुमार हो प्रकरणा पर नम्बर स हु म होकर बाद पूर्ण कारिबल दफतर हो।	 उपखण्ड अधिकारी नासरी (बन्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

41 / प्रा.पत्र / 2024

दायरा दिनांक 20.06.2024

पीठासीन अधिकारी

श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान.

1. नैनगा पुत्र घन्ना जाति गुर्जर निवासी बड़गांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट

प्रार्थीगण की ओर से :- श्री महेन्द्र कुमार रायका

अप्रार्थी की ओर से :- पैरोकार सरकार।

दिनांक:- 28.06.2024

—:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है कि ग्राम बड़गांव पटवार हल्का सखावदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 5 रकबा 1.51 हैक्टेयर जिसके खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी हैं एवं काबिज काश्तकारी करता चला आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थी की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस-पास के पड़ोसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थी की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है जितनी कृषि भूमि प्रार्थी के खाते में है उतनी कृषि भूमि मौके पर नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी एवं व कब्जे की कृषिभूमि के पड़ोसी खातेदार प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थी की सीमाओं को मिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थी की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

करवाना चाहते हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से परोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बड़गांव पटवार हल्का सखावदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 5 रकबा 1.51 हैक्टेयर जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी है एवं काबिज काश्त होकर कारत करता चला आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/- रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थीगण से वसूल किये जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया

गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेश (बून्दी)